राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग

(जी–3, राजमहल पैलेस रेजिडेन्शियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गौदाम जयपुर–302013)
(टैलीफैक्स–0141–2222403, ई–मेल–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org)

क्रमांकः–एफ 29(   )फायर / विविध / डीएलबी / 25 / 2937   दिनांक 24/09/2025

आयुक्त,
नगर परिषद,
भिवाड़ी।

विषयः– फायरसेंस के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने के संबंध में।
प्रसंगः– आपका पत्र क्रमांक 2336 दिनांक 27.08.2025।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि प्रकरण के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावें:–

1. वर्ष 2013 से पूर्व में स्थापित की गयी इकाइयों के सम्बन्ध में कोई अग्निशमन शुल्क वसूल नहीं किया जाना उचित होगा परन्तु यदि ऐसी कोई भी इकाई दिनांक 04.10.2013 के उपरांत अपने क्षेत्रफल में बढ़ोतरी करती है तो बढे हुए क्षेत्र के सम्बन्ध में अग्निशमन शुल्क सम्बंधित प्रचलित नियमो के अनुसार ही अग्निशमन शुल्क वसूल किया जाना उचित होगा।

2. नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 17(7)नविवि / नियम / 2020 दिनांक 21.01.2020 से पूर्व 15 मीटर से कम उचाई की किसी भी प्रकार की ईकाईयों से अग्निशमन शुल्क शुल्क वसूल नहीं किया जाना उचित होगा परन्तु यदि ऐसी कोई भी इकाई दिनांक 21.01.2020 के उपरांत अपनी ऊंचाई में बढ़ोतरी करती है तो बढ़ी हुई ऊंचाई के सम्बन्ध में अग्निशमन शुल्क सम्बंधित प्रचलित नियमो के अनुसार ही अग्निशमन शुल्क वसूल किया जाना उचित होगा।

3. नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.11(9)नविवि / नियम / 2020 पार्ट / 9003–9336 दिनांक 31.07.2024 उक्त आदेश की पालना में 15 मीटर तक उचाई वाली ईकाईयों का शुल्क 50 / – रू से घटाकर 15 / – रू किया गया था, इस सम्बन्ध में लेख है की 15 मीटर तक उचाई वाली ईकाईयों के संबंध में 50 / – रू के स्थान पर 15 / – रू प्रति वर्ग मीटर 5 वर्षो की अवधि हेतु अग्निशमन शुल्क वसूल किया जावेगा जिसके उपरांत 15 मीटर की उचाई की इकाइयों से पुनः 5 वर्ष की अवधि हेतु अग्निशमन शुल्क वसूल किया जावेगा।

(नवीन यादव)
उप निदेशक (प्रशासन)

Document certified by NAVIN YADAV
<YADAV.NAVIN.74@GMAIL.COM>.
Digitally Signed by Naveen Yadav
Designation : Deputy Director
Date :23-09-2025 05:07:27

RajKaj Ref No.: 17941566
eSign DSC